JUDICIARY न्यायपालिका

After studying this chapter, you would be able to understand

- the meaning of independence of judiciary;
- the role of Indian Judiciary in protecting our rights;
- the role of the Judiciary in interpreting the Constitution; and
- the relationship between the Judiciary and the Parliament of India.

- **इस अध्याय को पढ कर आप निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे**
- न्यायपालिका की स्वतंत्राता का अर्थ,
- अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका,
- संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और
- भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध।

WHY DO WE NEED AN INDEPENDENT JUDICIARY?

In any society, disputes are bound to arise between individuals, between groups and between individuals or groups and government. All such disputes must be settled by an independent body in accordance with the principle of rule of law. This idea of rule of law implies that all individuals — rich and poor, men or women, forward or backward castes — are subjected to the same law. The principal role of the judiciary is to protect rule of law and ensure supremacy of law. It safeguards rights of the individual, settles disputes in accordance with the law and ensures that democracy does not give way to individual or group dictatorship. In order to be able to do all this, it is necessary that the judiciary is independent of any political pressures.

JUDICIARY न्यायपालिका

- **हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए?**
- हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को 'कानून के शासन के सिद्धांत' के आधार पर एक स्वतंत्रा संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। 'कानून के शासन' का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह 'कानून के शासन' की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो।

JUDICIARY न्यायपालिका

➢ Independence of Judiciary

Simply stated independence of judiciary means that

- ❖ the other organs of the government like the executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice.
- ❖ the other organs of the government should not interfere with the decision of the judiciary.
- ❖ judges must be able to perform their functions without fear or favour.

➢ न्यायपालिका की स्वतंत्रता

सीधे–सरल शब्दों में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि –

- ❖ सरकार के अन्य दो अंग–विधायिका और कार्यपालिका–न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें।
- ❖ सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें।
- ❖ न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।

JUDICIARY न्यायपालिका

- **Independence of the judiciary does not imply arbitrariness or absence of accountability. Judiciary is a part of the democratic political structure of the country. It is therefore accountable to the Constitution, to the democratic traditions and to the people of the country.**

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्त्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है।

JUDICIARY न्यायपालिका

- **The Indian Constitution has ensured the independence of the judiciary through a number of measures. The legislature is not involved in the process of appointment of judges. Thus, it was believed that party politics would not play a role in the process of appointments. In order to be appointed as a judge, a person must have experience as a lawyer and/or must be well versed in law. Political opinions of the person or his/ her political loyalty should not be the criteria for appointments to judiciary.**

भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएँ उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए।

JUDICIARY न्यायपालिका

- **The judges have a fixed tenure. They hold office till reaching the age of retirement. Only in exceptional cases, judges may be removed. But otherwise, they have security of tenure. Security of tenure ensures that judges could function without fear or favour. The Constitution prescribes a very difficult procedure for removal of judges. The Constitution makers believed that a difficult procedure of removal would provide security of office to the members of judiciary.**

न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो, तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा।

JUDICIARY न्यायपालिका

The judiciary is not financially dependent on either the executive or legislature. The Constitution provides that the salaries and allowances of the judges are not subjected to the approval of the legislature. The actions and decisions of the judges are immune from personal criticisms. The judiciary has the power to penalise those who are found guilty of contempt of court. This authority of the court is seen as an effective protection to the judges from unfair criticism. Parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding to remove a judge is being carried out

न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधोशों के कायों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा।

Appointment of Judges न्यायाधीशों की नियुक्ति

it has suggested that the Chief Justice should recommend names of persons to be appointed in consultation with four senior-most judges of the Court. Thus, the Supreme Court has established the principle of collegiality in making recommendations for appointments. At the moment therefore, in matters of appointment the decision of the group of senior judges of the Supreme Court carries greater weight.

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है।

JUDICIARY न्यायपालिका

Removal of Judges

The removal of judges of the Supreme Court and the High Courts is also extremely difficult. A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehaviour or incapacity.

न्यायाधीशों को पद से हटाना

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति ज़रूरी होती है।

JUDICIARY न्यायपालिका

STRUCTURE OF THE JUDICIARY

The Constitution of India provides for a single integrated judicial system. This means that unlike some other federal countries of the world, India does not have separate State courts. The structure of the judiciary in India is pyramidal with the Supreme Court at the top, High Courts below them and district and subordinate courts at the lowest level

न्यायपालिका की संरचना

भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है।

JUDICIARY न्यायपालिका

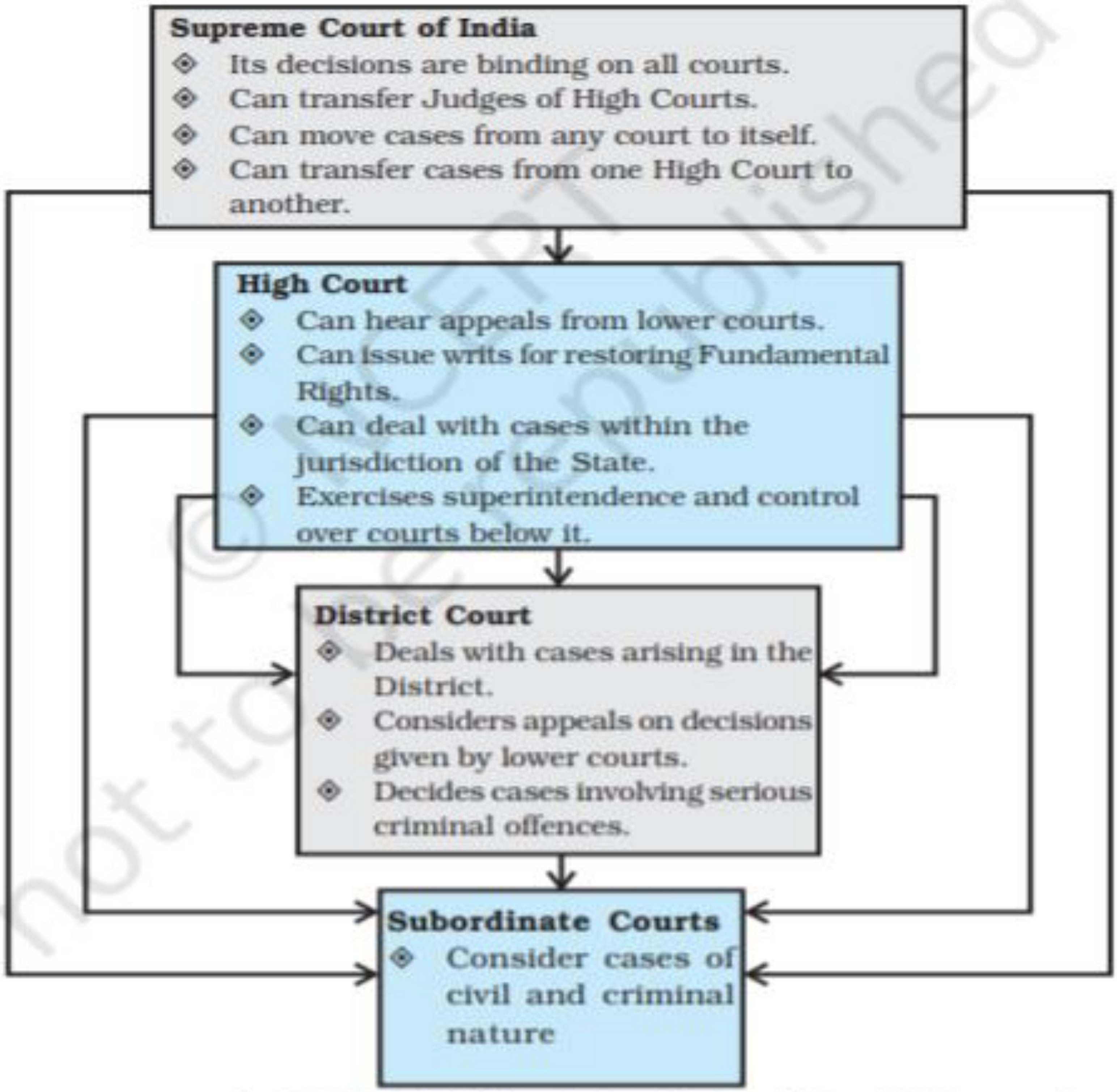

JUDICIARY न्यायपालिका

Jurisdiction of Supreme Court

The Supreme Court of India is one of the very powerful courts anywhere in the world. However, it functions within the limitations imposed by the Constitution. The functions and responsibilities of the Supreme Court are defined by the Constitution. The Supreme Court has specific jurisdiction or scope of powers.

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

JUDICIARY न्यायपालिका

Jurisdiction of Supreme Court of India

Original Settles disputes between Union and States and amongst States.

Appellate Tries appeals from lower courts in Civil, Criminal and Constitutional cases

Advisory Advises the President on matters of public importance and law

Writ: Can issue writs of Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo warranto to protect the Fundamental Rights of the individual

Special Powers Can grant special leave to an appeal from any judgement or matter passed by any court in the territory of India.

Original Jurisdiction

Original jurisdiction means cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts before that. From the diagram above, you will notice that cases involving federal relations go directly to the Supreme Court. The Original Jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an umpire in all disputes regarding federal matters. In any federal country, legal disputes are bound to arise between the Union and the States; and among the States themselves. The power to resolve such cases is entrusted to the Supreme Court of India. It is called original jurisdiction because the Supreme Court alone has the power to deal with such cases. Neither the High Courts nor the lower courts can deal with such cases. In this capacity, the Supreme Court not just settles disputes but also interprets the powers of Union and State government as laid down in the Constitution.

मौलिक क्षेत्राधिकार

मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। एसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई ज़रूरी नहीं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की ज़िम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधोनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है।

Writ Jurisdiction

As you have already studied in the chapter on fundamental rights, any individual, whose fundamental right has been violated, can directly move the Supreme Court for remedy. The Supreme Court can give special orders in the form of writs. The High Courts can also issue writs, but the persons whose rights are violated have the choice of either approaching the High Court or approaching the Supreme Court directly. Through such writs, the Court can give orders to the executive to act or not to act in a particular way

'रिट' संबंधी क्षेत्राधिकार

जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है।

Appellate Jurisdiction

The Supreme Court is the highest court of appeal. A person can appeal to the Supreme Court against the decisions of the High Court. However, High Court must certify that the case is fit for appeal, that is to say that it involves a serious matter of interpretation of law or Constitution. In addition, in criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death then an appeal can be made to the High Court or Supreme Court. Of course, the Supreme Court holds the powers to decide whether to admit appeals even when appeal is not allowed by the High Court. Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issues involved in it. If the Court thinks that the law or the Constitution has a different meaning from what the lower courts understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give new interpretation of the provision involved.

अपीली क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाणपत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है अर्थात् उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फ़ौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फाँसी की सज़ा दे दे, तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दुबारा जाँच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है।

Advisory Jurisdiction

In addition to original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses advisory jurisdiction also. This means that the President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. However, the Supreme Court is not bound to give advice on such matters and the President is not bound to accept such an advice.

सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार

मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय एसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को।

What then is the utility of the advisory powers of the Supreme Court? The utility is two-fold. In the first place, it allows the government to seek legal opinion on a matter of importance before taking action on it. This may prevent unnecessary litigations later. Secondly, in the light of the advice of the Supreme Court, the government can make suitable changes in its action or legislations.

फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिताएँ हैं– पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्त्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है।

JUDICIARY न्यायपालिका

Decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts within the territory of India. Orders passed by it are enforceable throughout the length and breadth of the country. The Supreme Court itself is not bound by its decision and can at any time review it. Besides, if there is a case of contempt of the Supreme Court, then the Supreme Court itself decides such a case.

सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले भारतीय भू–भाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले भी वे स्वयं ही देखता है।

JUDICIAL ACTIVISM

Both these terms are often used in the discussions about judiciary in recent times. Many people think that these two things have revolutionised the functioning of judiciary and made it more people-friendly.

न्यायिक सक्रियता

भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका (ैवबपंस ।बजपवद स्पजपहंजपवद) रही है। आखिर

JUDICIARY न्यायपालिका

The chief instrument through which judicial activism has flourished in India is Public Interest Litigation (PIL) or Social Action Litigation (SAL). What is PIL or SAL? How and when did it emerge? In normal course of law, an individual can approach the courts only if he/she has been personally aggrieved. That is to say, a person whose rights have been violated, or who is involved in a dispute, could move the court of law. This concept underwent a change around 1979. In 1979, the Court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved persons but by others on their behalf. As this case involved a consideration of an issue of public interest, it and such other cases came to be known as public interest litigations. Around the same time, the Supreme Court also took up the case about rights of prisoners. This opened the gates for large number of cases where public spirited citizens and voluntary organisations sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor,

जनहित याचिका' है क्या? कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फँसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक एसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था अतः इसे और एसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे एसे मुकदमों की बाढ़-सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की माँग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है।

protection of the environment, and many other issues in the interest of the public. PIL has become the most important vehicle of judicial activism. Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to cases brought before it, began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court. Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of the judiciary.

किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बना कर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई।

JUDICIARY न्यायपालिका

There is however a negative side to the large number of PILs and the idea of a proactive judiciary. In the first place it has overburdened the courts. Secondly, judicial activism has blurred the line of distinction between the executive and legislature on the one hand and the judiciary on the other. The court has been involved in resolving questions which belong to the executive

जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुँधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए।

JUDICIARY न्यायपालिका

Thus, for instance, reducing air or sound pollution or investigating cases of corruption or bringing about electoral reform is not exactly the duty of the Judiciary. These are matters to be handled by the administration under the supervision of the legislatures. Therefore, some people feel that judicial activism has made the balance among the three organs of government very delicate. Democratic government is based on each organ of government respecting the powers and jurisdiction of the others. Judicial activism may be creating strains on this democratic principle.

उदाहरण के लिए, वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक–दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुँच सकता है।

JUDICIARY AND RIGHTS

We have already seen that the judiciary is entrusted with the task of protecting rights of individuals. The Constitution provides two ways in which the Supreme Court can remedy the violation of rights.

•First it can restore fundamental rights by issuing writs of Habeas Corpus; mandamus etc. (article 32). The High Courts also have the power to issue such writs (article 226).

•Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational (article 13).

न्यायपालिका और अधिकार हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान एसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके–

• पहला, यह अनेक रिट; जैसे– बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। (अनुच्छेद 32)। उच्च न्यायालयों को भी एसी रिट जारी करने की शक्ति है (अनुच्छेद 226)।

• दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर–संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है (अनुच्छेद 13)।

Together these two provisions of the Constitution establish the Supreme Court as the protector of fundamental rights of the citizen on the one hand and interpreter of Constitution on the other. The second of the two ways mentioned above involves judicial review.

ये दोनों प्रावधान एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपर्युक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है।

JUDICIARY न्यायपालिका

Perhaps the most important power of the Supreme Court is the power of judicial review. Judicial Review means the power of the Supreme Court (or High Courts) to examine the constitutionality of any law if the Court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the Constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. The term judicial review is nowhere mentioned in the Constitution. However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights, implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review.

सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति संभवतया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जाँच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, तो न्यायालय उसे गैर–संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।

JUDICIARY AND PARLIAMENT

न्यायपालिका और संसद

JUDICIARY न्यायपालिका

The Indian Constitution is based on a delicate principle of limited separation of powers and checks and balances. This means that each organ of the government has a clear area of functioning. Thus, the Parliament is supreme in making laws and amending the Constitution, the executive is supreme in implementing them while the judiciary is supreme in settling disputes and deciding whether the laws that have been made are in accordance with the provisions of the Constitution. Despite such clear cut division of power the conflict between the Parliament and judiciary, and executive and the judiciary has remained a recurrent theme in Indian politics

भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बँटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।

In 1973, the Supreme Court gave a decision that has become very important in regulating the relations between the Parliament and the Judiciary since then. This case is famous as the Kesavananda Bharati case. In this case, the Court ruled that there is a basic structure of the Constitution and nobody—not even the Parliament (through amendment)—can violate the basic structure. The Court did two more things. First, it said that right to property (the disputed issue) was not part of basic structure and therefore could be suitably abridged. Secondly, the Court reserved to itself the right to decide whether various matters are part of the basic structure of the Constitution. This case is perhaps the best example of how judiciary uses its power to interpret the Constitution.

JUDICIARY न्यायपालिका

1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो गया है। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमें में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढाँचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढाँचे से छेड–छाड नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढाँचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढाँचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढाँचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।